

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- अविचल चतुर्वेदी
आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 188/2019



1. ग्यारसा पुत्र मोटा जाति मीना निवासी तलावड़ा तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा दिनांक 26.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम ग्यारसा मु०नं० 409/2018 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री जगदीश सिंह, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 03.2.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सिण्डोली द्वारा उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा के यहां इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई थी कि ग्राम तलावड़ा तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नं० 1855 रकबा 0.60 है० किस्म पेटा तालाबी भूमि पर बाजरा की काश्त कर अपीलांत द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2018 के द्वारा अपीलांत को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पेनल्टी तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया। तहसीलदार दौसा के उक्त आदेश दिनांक 26.12.2018 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को सुनवाई एवं सबूत के अवसर दिये बिना एवं अपीलांत की विधिवत तामील कराये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलांत की तामील भी नहीं हुई और अपीलांत के पुत्र की उपस्थिति दर्ज कर अतिक्रमण स्वीकार करना दर्ज कर प्रकरण का निर्णय कर दिया तथा अपीलांत को 90 दिवस का कारावास व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अपीलांत वृद्ध व्यक्ति है एवं बीमार रहता है तथा काश्त करता भी नहीं है। पटवारी हल्का ने पूर्व में बेदखली की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की और न ही पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया था। पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं लिये और न ही पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिया गया और न ही कोई दस्जावेज प्रदर्श हुआ। पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांत को दण्डित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपीलांत का कब्जा नहीं होना एवं इस बाबत अपीलांत की ओर से शपथ पत्र भी पेश कर दिया जाना व्यक्त करते हुए अपील अपीलांत स्वीकार फरमायी जाने का निवेदन किया गया।

(A)

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील प्रति पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। बावजूद सूचना अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उसको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में पेटा तालाबी भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा पेटा तालाबी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत कर किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर रखा होना और न ही भविष्य में कब्जा किया जाना तथा प्रश्नगत खसरा नंबर 1855 रकबा 0.60 है० भूमि पर कोई कब्जा पाया जावे तो कब्जा छोड़ने को तैयार होना व्यक्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में अपीलाधीन आदेश की पालना में फसल नीलामी व बेदखली की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए अपीलांट के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैथल जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 फरवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

